न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
266 / 16	03.10.2016	28.06.2019

1. धर्मचन्द पुत्र श्री गिरधारी जाति अहीर निवासी पालपुर की ढाणी तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:– प्रार्थीगण

:: बनाम ::

1. बलवान पुत्र बस्तीराम पोत्र गिरधारी
2. अनूप पुत्र बस्तीराम पोत्र गिरधारी
3. बोदन पुत्र गिरधारी कोम अहीर साकिन पालपुर की ढ़ाणी तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार साहब, किशनगढ़–बास जिला–अलवर राज0।

:–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राज0 टी0ऐ0 आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थितः–

1. श्री नरहरि व्यास अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री दुलीचन्द यादव अभिभाषक अप्रार्थीगण

प्रार्थी ने मय अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम का इस आश्य का पेश किया कि विवादित आराजी मुतदाविया खसरा संख्या 1082 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा में से 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि वाके ग्राम पालपुर तहसील कोटकासिम जो हाल रिकोर्ड में मिन वादी के नाम वो मिन वादी के भाई कालिया उर्फ कालूराम के नाम बहिस्से बराबर अवश्य दर्ज है किन्तु कालिया उर्फ कालूराम का आराजी मुतदाविया पर कभी कब्जा काश्त नही रहा। दरअसल वादी का भाई कालिया उर्फ कालूराम जो कि अविवाहित निःसंतान अपने जीवनकाल में रहा एवं मिन वादी के पास रहते हुवे दिनांक 28.08.2016 को ग्राम पालपुर में फोत हो गया। चूंकि दरहकीकत यह है कि मिन वादी करीब डेढ वर्ष की उम्र में ही अपनी बुआ के पास राजपुरा किशनगढ़ बालावास को छोडकर ग्राम पालपुर की ढ़ाणी में आ गया और यही लालन पालन पोषण हुवा और यही बडा होकर रहने लग गया। चूंकि वादी के पिछले गांव राजपुरा हरियाणा में पिता की जायदाद में हिस्सा था। वादी ने अपना हिस्सा अपने पिता से बेचान कराया तथा उससे जो रकम प्राप्त हुई उससे आराजी मुतदाविया को वादी ने खरीद किया। वादी ने अपनी रकम से आराजी मुतदाविया को सन् 1972 में खरीद किया। जिस वक्त वादी ने आराजी मुतदाविया को खरीद किया अपने निःसंतान अविवाहित बेरोजगार जिसके पास कोई आय नही थी भाई को भी अपने पिता पालपुर ले आया तथा उसकी मानसिंक संतुष्टी के लिए

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

रजिस्टर्ड खरीदशुदा दस्तावेज में उसके नाम का अंकन करा दिया। जबकि आराजी मुतदाविया वो खरीद से उसका कोई सम्बन्ध नही था। इस प्रकार आराजी मुतदाविया तन्हा वादी की खरीदशुदा कबजे काश्त खातेदारी की आराजी है लिहाजा आराजी मुतदाविया खसरा नम्बर 1082 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा में से 3 बीघा 14 बिस्वा का वादी तन्हा काबिज काश्त खातेदार घोषित होने योग्य है।

आराजी मुतदाविया के किसी भी जुज से कभी भी मृतक कालिया उर्फ कालूराम का कोई सम्बन्ध नही रहा तथा आराजी मुतदाविया को खरीदा भी अकेले वादी नले ओर तन्हा मिन वादी काबिज काश्त है चूंकि हाल में कालिया उर्फ कालूराम फोत हो गया ओर प्रतिवादीगण के दिल वो दिमांग में बदयान्ति पैदा हो गई ओर उस बदनियति की परिणिता के कारण महज कालिया उर्फ कालूराम का नाम रिकार्ड में दर्ज रहने की सूरत में प्रतिवादीगण क्लेम पर उतारू हो गये, जबकि मृतक कालिया उर्फ कालूराम का ही कोई सम्बन्ध अथवा कब्जा काश्त आराजी मुतदाविया पर नही था। तन्हा ही वादी काबिज काश्त आराजी मुतदाविया है जो अंकन कालिया उर्फ कालूराम का आया उसे वादी कालिया उर्फ कालूराम की फौतगी में अपने नाम नामांतकरण द्वारा कराने लगा तो प्रतिवादीगण ने अपने नापाक इरादे जाहिर किये, जिससे वादी को दावा हाजा दायर करना लाजिम आया है।

आराजी मुतदाविया 3 बीघा 14 बिस्वा तन्हा वादी की है और वादी ही काबिज काश्त है लिहाजा हाल रिकोर्ड जमाबन्दी से कालिया उर्फ कालूराम का नाम कलमजन कर हटाया जावे हजफ किया जावे तथा इन्द्राजात जमाबन्दियात दुरूस्त फरमाई जावे एवं तन्हा वादी के नाम का इन्द्राज अमल किया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा मिन वादी को दिनांक 29.09.2016 को ऐलानिया तौर पर धमकी दी गई है कि वो मिन वादी को मुतदाविया भूमि से बेदखल कर कब्जा करेगे तथा मृतक कालिया उर्फ कालूराम की विरासत का नामान्तकरण अपने नाम से दर्ज करावेगे। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनन वो विधिक अधिकारी नही है यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो वादी को अजहद हानि होगी कि जिसकी कीमत रूपयों में आंका जाना सम्भव नही है इसलिए अप्रार्थीगण को हुकमईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 3 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया कि विवादित आराजी में 1/2 हि0 कालुराम का खरीद शुदा है। जिस पर वह वादी के साथ काबिज रहा, तथा कालुराम के फोत होने के बाद कालुराम के 1/2 हि0 में मिन प्रतिवादीगण सं0 1 बलवान व 2 अनुप का तथा 1/3 हि0 दर 1/2 हि0 प्रतिवादीगण 3 बोदन का है। तथा अपने हिस्से अनुसार ही हम शान्ति पूर्वक काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी ने जिमन हाजा में कुल कहानी मिथ्या व मनगढन्त दर्ज की गई है, वादी आराजी को अकेला ही हडप करना चाहता है। इसलिए वादी अपने आपको किसी प्रकार से तन्हा काबिज व काश्त खातेदार घोषित कराने का अधिकारी नही है। विवादित आराजी को मृतक कालूराम ने वादी के साथ मिलकर खरीद किया था जिसमें कालूराम का 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा वक्त खरीद से ही अपने हिस्से पर शान्ति पूर्वक काबिज व दाखिल होकर काश्त करता चला आरहा है। मिन प्रतिवादीगण 1 व 2 मृतक कालूराम के सगे भाई बस्तीराम पुत्र गिरधारी को पुत्रान है। यानी कालूराम के सगे भतिजे है तथा प्रतिवादी संख्या 3 मृतक कालूराम का सगा भाई है। कालूराम लावल्द विला औरत फौत हुआ है इसलिए हम मृतक कालूराम के विधिक वारिसान है तथा विवादित आराजी में हमारा उनके 1/2 हिस्सा में वादी के साथ बय दर का हक हिस्सा 1/3 दर 1/2 हिस्सा प्रतिवादी 1 व 2 का तथा 1/3 दर 1/2 हिस्सा प्रतिवादी 3 का है। वादी बेजा रूप से हमारे हक हिस्से को हड़प करना चाहता है तथा मित्या तथ्यों के आधार पर न्यायालय श्रीमान में झूठा वाद पेश किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है व किसी प्रकार की कोई डिक्री या दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

विद्वांन अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी। विद्वांन अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया और कहा कि विवादित आराजी मुतदाविया खसरा संख्या 1082 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा में से 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि वाके ग्राम पालपुर तहसील कोटकासिम जो हाल रिकोर्ड में मिन वादी के नाम वो मिन वादी के भाई कालिया उर्फ कालूराम के नाम बहिस्से बराबर अवश्य दर्ज है किन्तु कालिया उर्फ कालूराम का आराजी मुतदाविया पर कभी कब्जा काश्त नही रहा। दरअसल वादी का भाई कालिया उर्फ कालूराम जो कि अविवाहित निःसंतान अपने जीवनकाल में रहा एवं मिन वादी के पास रहते हुवे दिनांक 28.08.2016 को ग्राम पालपुर में फोत हो गया। चूंकि दरहकीकत यह है कि मिन वादी करीब डेढ वर्ष की उम्र में ही अपनी बुआ के पास राजपुरा किशनगढ़ बालावास को छोडकर ग्राम पालपुर की ढ़ाणी में आ गया और यही लालन पालन पोषण हुवा और यही बडा होकर रहने लग गया। चूंकि वादी के पिछले गांव राजपुरा हरियाणा में पिता की जायदाद में हिस्सा था। वादी ने अपना हिस्सा अपने पिता से बेचान कराया तथा उससे जो रकम प्राप्त हुई उससे आराजी मुतदाविया को वादी ने खरीद किया। वादी ने अपनी रकम से आराजी मुतदाविया को सन् 1972 में खरीद किया। जिस वक्त वादी ने आराजी मुतदाविया को खरीद किया अपने निःसंतान अविवाहित बैरोजगार जिसके पास कोई आय नही थी भाई को भी अपने पिता पालपुर ले आया तथा उसकी मानसिंक संतुष्टि के लिए रजिस्टर्ड खरीदशुदा दस्तावेज में उसके नाम का अंकन करा दिया। जबकि आराजी मुतदाविया वो खरीद से उसका कोई सम्बन्ध नही था। इस प्रकार आराजी मुतदाविया तन्हा वादी की खरीदशुदा कबजे काश्त खातेदारी की आराजी है लिहाजा आराजी मुतदाविया खसरा नम्बर 1082 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा में से 3 बीघा 14 बिस्वा का वादी तन्हा काबिज काश्त खातेदार घोषित होने योग्य है।

आराजी मुतदाविया के किसी भी जुज से कभी भी मृतक कालिया उर्फ कालूराम का कोई सम्बन्ध नही रहा तथा आराजी मुतदाविया को खरीदा भी अकेले वादी नले ओर तन्हा मिन वादी काबिज काश्त है चूंकि हाल में कालिया उर्फ कालूराम फोत हो गया ओर प्रतिवादीगण के दिल वो दिमांग में बदयान्ति पैदा हो गई ओर उस बदनियति की परिणिता के कारण महज कालिया उर्फ कालूराम का नाम रिकार्ड में दर्ज रहने की सूरत में प्रतिवादीगण क्लेम पर उतारू हो गये, जबकि मृतक कालिया उर्फ कालूराम का ही कोई सम्बन्ध अथवा कब्जा काश्त आराजी मुतदाविया पर नही था। तन्हा ही वादी काबिज काश्त आराजी मुतदाविया है जो अंकन कालिया उर्फ कालूराम का आया उसे वादी कालिया उर्फ कालूराम की फौतगी में अपने नाम नामांतकरण द्वारा कराने लगा तो प्रतिवादीगण ने अपने नापाक इरादे जाहिर किये, जिससे वादी को दावा हाजा दायर करना लाजिम आया है। इस से प्रार्थी के तीनो बिन्दु साबित है। आराजी मुतदाविया 3 बीघा 14 बिस्वा तन्हा वादी की है और वादी ही काबिज काश्त है लिहाजा हाल रिकोर्ड जमाबन्दी से कालिया उर्फ कालूराम का नाम कलमजन कर हटाया जावे हजफ किया जावे तथा इन्द्राजात जमाबन्दियात दुरूस्त फरमाई जावे एवं तन्हा वादी के नाम का इन्द्राज अमल किया जावे।

विद्वांन अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। विद्वांन अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और कहा कि विवादित आराजी में 1/2 हि0 कालुराम का खरीद शुदा है। जिस पर वह वादी के साथ काबिज रहा, तथा कालुराम के फौत होने के बाद कालुराम के 1/2 हि0 में मिन प्रतिवादीगण सं0 1 बलवान व 2 अनुप का तथा 1/3 हि0 दर 1/2 हि0 प्रतिवादीगण 3 बोदन का है। तथा अपने हिस्से अनुसार ही हम शान्ति पूर्वक काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी ने जिमन हाजा में कुल कहानी मिथ्या व मनगढन्त दर्ज की गई है, वादी आराजी को अकेला ही हडप करना चाहता है। इसलिए वादी अपने आपको किसी प्रकार से तन्हा काबिज व काश्त खातेदार घोषित कराने का अधिकारी नही है। विवादित आराजी को मृतक कालूराम ने वादी के साथ मिलकर खरीद किया था जिसमें कालूराम का 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा वक्त खरीद से ही अपने हिस्से पर शान्ति पूर्वक काबिज व दाखिल होकर

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

काश्त करता चला आरहा है। मिन प्रतिवादीगण 1 व 2 मृतक कालूराम के सगे भाई बस्तीराम पुत्र गिरधारी को पुत्रान है। यानी कालूराम के सगे भतिजे है तथा प्रतिवादी संख्या 3 मृतक कालूराम का सगा भाई है। कालूराम लावल्द विला औरत फौत हुआ है इसलिए हम मृतक कालूराम के विधिक वारिसान है तथा विवादित आराजी में हमारा उनके 1/2 हिस्सा में वादी के साथ बय दर का हक हिस्सा 1/3 दर 1/2 हिस्सा प्रतिवादी 1 व 2 का तथा 1/3 दर 1/2 हिस्सा प्रतिवादी 3 का है। वादी बेजा रूप से हमारे हक हिस्से को हड़प करना चाहता है तथा मित्या तथ्यों के आधार पर न्यायालय श्रीमान में झूठा वाद पेश किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है व किसी प्रकार की कोई डिक्री या दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी अपने तीनो बिन्दु साबित करने में सफल नही रहा है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस पर मनन किया व पत्रावली के दस्तावेजात का अवलोकन किया। वादभूमि कालिया के नाम दर्ज है व कालिया फौत हो चुका है। वादभूमि विरासतन है या क्रय शुदा है, वादभूमि के उत्तराधिकार के हकदार कौन–कौन है इत्यादि बिन्दुओं का मूल वाद में गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाएगा। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी वादभूमि पर अपना कब्जा काश्त होना कथन किया है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण में से कौन कब्जा काश्त में है, कब्जा विधिक है या अविधिक आदि बिन्दुओं पर मूलवाद में गुणावगुण पर निर्णय किया जाएगा। प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत शपथ पत्र, बहस के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है।

वादभूमि के सम्बन्ध में पक्षकारान में सदभावी विवाद है वादभूमि को किसी भी पक्षकार द्वारा अंतरित किए जाने, उसे नुकसान/हानि पहुँचाने, र्दुव्ययन करने के भय या खतरा के स्थिति में वादभूमि को परिरक्षित व संरक्षित रखा जाना आवश्यक है जिससे मूलवाद के निर्णय तक वादभूमि संरक्षित रहे व उसके वास्तविक मालिक को प्राप्त हो। ऐसे मामलो में वादभूमि के अतंरण या र्दुव्ययन से पक्षकारान के मध्य वाद क्लिष्टता व वाद बहुलता का जन्म होता है जिससे मूल वाद के निर्णय में आवश्यक विलम्ब पैदा होता है, जोकि न्यायोचित नही है।

वादभूमि के रिकार्ड में परिवर्तन से वादभूमि के रिकार्ड में पक्षकारान की संख्या बढ़ेगी, वादभूमि के अन्तरण की संभावना रहेगी जिससे वाद बहुलता व वाद क्लिष्टता का जन्म होगा इससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। मूलवाद जिसमें पक्षकारान के हक हिस्सा का निर्धारण होना है तब तक वादभूमि के रिकार्ड व मौका यथास्थिति रखने से किसी भी पक्षकारान के हितो पर विपरीत प्रभाव नही पडेगा।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर दिनांक 03.10.2016 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण ताफैसला वाद कन्फर्म किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1082 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा में से 3–14 बिस्वा वाके ग्राम पालपुर तहसील कोटकासिम से वादी को जब्रन बेदखल कर कब्जा नही करे, ना वादी को भूमि जोतने, फसल बोने, काटने वो समेटने में किसी प्रकार से काई बाधा पैदा नही करे, ना प्रतिवादी नं0 4 तहसीलदार कोटकासिम से प्रतिवादीगण अपने नाम नामान्तकरण दर्ज मंजूर करावे, ना आराजी मुतदाविया को दीगर जगह रहन, बैय, हिबा, लीज इत्यादि से मुन्तकिल करे, मौका व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकुमार [illegible] (R.AS)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)

Scanned by CamScanner